

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा  
पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 150/2025

1. नरेश कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी 12 एम.डबल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।



वादी

बनाम

1. कुम्भाराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी 12 एम.डबल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. उमेश कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी 12 एम.डबल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. गुडी पत्नी कुम्भाराम जाति जाट निवासी 12 एम. डबल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. अग्रेंज पुत्री कुम्भाराम पत्नी विकास गोदारा जाति जाट निवासी 12 एम.डबल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा हाल आबाद इन्द्रा कॉलोनी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा  
डिक्री

दिनांक :- 11/08/25

वादी की ओर से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

(क) वादी (नरेश कुमार) को प्राप्त भूमि :- तहसील पीलीबंगा के चक 12 एम. डबल्यू.एम. के खाता संख्या 12/18 के प.नं. 115/367(22) के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्. व प. नं. 115/368 (23) किला नं. 1/1/0.031, 2/1/0.032 की 0.063 हैक्. इसप्रकार कुल रकबा 6.388 हैक्. कमाण्ड में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/2 हिस्सा मे से 1.012 हैक्. कमाण्ड का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2,3 (उमेश कुमार-गुडडी) को प्राप्त भूमि:- तहसील पीलीबंगा के चक 12 एम.डबल्यू.एम. के खाता संख्या 12/18 के प.नं. 115/367(22) के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्. व प.नं. 115/368 (23) किला नं. 1/1/0.031, 2/1/0.032 की 0.063 हैक्. इसप्रकार कुल रकबा 6.388 हैक्. कमाण्ड में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/2 हिस्सा मे से 2.024 हैक्. कमाण्ड कृषि भूमि ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथऱ अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हों की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथऱ किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथऱ भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 11/08/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( उमम मित्तल आर.ए.एस. )  
उपखण्ड अधिकाऱी एव  
पदेन सहायक अधिकाऱी पीलीबंगा  
पीलीबंगा